BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 सितम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त भरत सिंह उर्फ गुलशन पुत्र कुशलपाल निवासी शाहगढ़ थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु नकबजनी जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 31.08.2022 को थाना डिबाई पर मुअसं- 443/22 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 01.05.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.09.2024 को न्यायाधीश श्री चन्द्र विजय श्रीनेत (मा0 न्यायालय एडीजे-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भरत सिंह उर्फ गुलशन को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

अभियुक्त भरत सिंह उर्फ गुलशन का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-443/22 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-154/22 धारा 379/411/414/420 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-156/22 धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-158/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-23/18 धारा 411/414/420 भादवि व 102/41 सीआरपीसी थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़।
6. मुअसं-60/22 धारा 379/411 भादवि थाना गंगीरी जनपद अलीगढ़।
7. मुअसं-224/20 धारा 379/411 भादवि थाना बन्नादेवी जनपद अलीगढ़।
8. मुअसं-89/22 धारा 379/411 भादवि थाना महुआ खेड़ा जनपद अलीगढ़।
9. मुअसं-57/22 धारा 379/411 भादवि थाना लोधा जनपद अलीगढ़।
10. मुअसं-216/19 धारा 380/411 भादवि थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़।

मीडिया सेल बुलन्दशहर